

**झारखण्ड सरकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग
(जांच अधिनियम-1952)**

आवास सं० ई०-7/8, 8/8, इन्दिरा पैलेश के पीछे, पानी टंकी के पास,
हिन्, झारखण्ड, रांची-834002, फोन/फैक्स 0651-2253234

(जे० पी० आंदोलन के आंदोलनकारियों की प्रथम औपबंधिक सूची)

झारखण्ड सरकार, गृह विभाग का संकल्प सं०-4669, दिनांक 30.07.2015 निम्नवत् है :-

- आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मृत अथवा कारा में संसीमन अवधि में मृत आंदोलनकारी के पति/पत्नी को रु० 5,000/- (पाँच हजार) रुपये मासिक सम्मान पेंशन।
- आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी.आई.आर. में छः माह से अधिक कारा में संसीमित रहे आंदोलनकारी को 5,000/- (पाँच हजार) रुपये मासिक सम्मान पेंशन।
- आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी.आई.आर. में एक माह से छः माह तक कारा में संसीमित आंदोलनकारी रु० 2,500/- (दो हजार पाँच सौ) रुपये मासिक सम्मान पेंशन।
- आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में गोली से घायल आंदोलनकारी को 2,500/- (दो हजार पाँच सौ) रुपये मासिक सम्मान पेंशन।
- आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी.आई.आर. में एक माह से कम कारा में संसीमित रहे आंदोलनकारी को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न।
आंदोलन की अवधि 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 निर्धारित है इसी समयावधि के आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है।

**जिला :- देवघर
(डी०आई०आर० एवं मीसा)**

दिनांक :- 11.01.2016

क्र. सं.	आवेदक का पूरा पता	आवेदक का दावा	आयोग का निर्णय झारखण्ड सरकार, गृह विभाग का संकल्प सं०-4669, दिनांक-30.07.2015 के अनुसार आवेदक का दावा स्वीकृत/अस्वीकृत
1.	1. आवेदक का नाम :- दुर्लभ कुमार मिश्र 2. पिता का नाम :- स्व० द्वारिका प्रसाद मिश्र 3. पूरा पता:- सरदार पंडा लेन, पश्चिम टोला, पूर्व शिवगंगा लेन, बी० देवघर-814112 4. मो० नं० :- 99737-65502, 90067-67434 5. आयु :- 61 वर्ष 6. लिंग :- पुरुष 7. पहचान चिह्न एवं परिचय पत्र यथा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड:- आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड	कंडिका-ii साक्ष्य :- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका का सत्यापन प्रमाण पत्र। कांड-मीसा उपायुक्त, सं० प० का आदेश सं०-87, दिनांक 01.10.1974 एवं आदेश सं०-25, दिनांक 21.09.1975 जेल अवधि-01.10.1974 से 08.12.1974 तक एवं 21.09.1975 से 23.03.1977 तक	कारण :- मीसा बंदी (उपायुक्त, सं० प० का आदेश सं०-87, दिनांक 01.10.1974 एवं आदेश सं०-25, दिनांक 21.09.1975) जेल अवधि :- 01.10.1974 से 08.12.1974 तक एवं 21.09.1975 से 23.03.1977 तक यानी एक साल पाँच माह नौ दिन सत्यापन का आधार :- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका का पत्रांक 2414/गो० दिनांक. 22.12.2015 के द्वारा सत्यापित प्रति के आधार पर। कंडिका-ii (दो) स्वीकृत
2.	1. आवेदक का नाम :- प्रो० नित्यानन्द मिश्र 2. पिता का नाम :- स्व० मुवनेश्वर प्रसाद मिश्र 3. पूरा पता:- पार्वती भवन, शीतल मल्लिक रोड, विलासी टाउन, बी० देवघर-814117 4. मो० नं० :- 92042-32756 5. आयु :- 80 वर्ष 6. लिंग :- पुरुष 7. पहचान चिह्न एवं परिचय पत्र यथा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड:- वोटर कार्ड, आधार कार्ड	कंडिका-ii साक्ष्य :- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका का सत्यापन प्रमाण पत्र। कांड-मीसा उपायुक्त, सं० प० का आदेश सं०-28, दिनांक 14.09.1975 एवं विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर का जेल प्रमाण पत्र। जेल अवधि-15.09.1975 से 07.02.1977 तक	कारण :- मीसा बंदी (उपायुक्त, सं० प० का आदेश सं०-28, दिनांक 14.09.1975) जेल अवधि :- 15.09.1975 से 07.02.1977 तक यानी एक साल चार माह 23 दिन सत्यापन का आधार :- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका का पत्रांक 2414/गो० दिनांक. 22.12.2015 के द्वारा सत्यापित प्रति के आधार पर। कंडिका-ii (दो) स्वीकृत
3.	1. आवेदक का नाम :- नारायण कुमार टिबड़ेवाल 2. पिता का नाम :- सीताराम टिबड़ेवाल 3. पूरा पता:- राम जानकी मंदिर, न्यु सारवों, देवघर-814112 4. मो० नं० :- 93346-60490 5. आयु :- 59 वर्ष 6. लिंग :- पुरुष 7. पहचान चिह्न एवं परिचय पत्र यथा पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड:- वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड	कंडिका-ii साक्ष्य :- उपायुक्त कार्यालय, सं० प० का मीसाबंदी प्रमाण पत्र एवं मंडल कारा, देवघर का प्रमाण पत्र। कांड-डीआईआर, मीसा देवघर कांड सं०-20 (7)75 एवं आदेश सं०-26/75 जेल अवधि-31.07.1975 से 08.08.1975 तक एवं 22.09.1975 से 22.02.1977 तक	कारण :- मीसा बंदी (डीआईआर का सत्यापित प्रति नहीं)। जेल अवधि :- 22.09.1975 से 22.02.1977 तक यानी एक साल पाँच माह सत्यापन का आधार :- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका का पत्रांक 2414/गो० दिनांक. 22.12.2015 के द्वारा सत्यापित प्रति के आधार पर। कंडिका-ii (दो) स्वीकृत

नोट :- उपरोक्त सूची पूर्णरूपेण औपबंधिक है। सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि यथा नाम, पिता का नाम, पूरा पता, लिंग, आयु, पहचान चिह्न, आवेदक का दावा, केस/वाद सं०, कारण, जेल अवधि आदि में पाये जाने पर आयोग को आपत्ति 15 दिनों के भीतर कर सकते हैं।

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

संजीव
उपरोक्त का टंकण एवं मिलान मेरे द्वारा किया गया है।